<u>प्रेस नोट</u>

झोलावाडी व नागवा गॉव में सरकारी अतिक्रमित वन्य जमीन को खाली कराया गया ।

दीव, दिनांक 02/10/2018- दिनांक 30/09/2018 को उप-समाहर्ता डॉ. अपूर्व शर्मा, मामलतदार श्री सी. डी. वाजा, दीव पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तलाटी, लोक निर्माण विभाग आदि के कर्मचारीगण व अधिकारीगण मिलकर झोलावाडी विस्तार के वन जमीन पर अतिक्रमण किये गए 23 मामलों को हटाया और जमीन को सरकारी कब्जे में लिया गया । इसके साथ-साथ नागवा गॉव के 02 अतिक्रमण मामले पर कार्रवाई करते हुए जमीन को सरकारी कब्जे में लिया गया । कुल मिलाकर 47,759.52 वर्ग मीटर वन विभाग की सरकारी जमीन को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया ।

इस अतिक्रमित की गई जमीन के मामले उप-समाहर्ता, दीव के कोर्ट में चल रहे थे, जिस पर दिये गए आदेश के मुताबिक दिनांक 24/08/2018 को उक्त अतिक्रमित जमीन को खाली करने को कहा गया था । अत: दी गई समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने दिनांक 30/09/2018 को वन विभाग की अतिक्रमित सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली ।

इस वक्त नोटिस बोर्ड लगवाये गए और पोल लगवाना शुरू किया साथ ही साथ अधिक आवाज में यह भी घोषणा की गई कि सरकार ने इस सरकारी जमीन का कब्जा ले लिया है । अत: इस जमीन पर कोई भी अंदर आने की कोशिश न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी । सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली है ।

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~